

## उत्पादन

### समित, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

#### द्वारा पदोपकरण

संख्या-प्राविधिक शिक्षा परिषद/2022/7817

स्थापना-दिनांक- 30/08/2022

### उत्पादन नाम:-

उच्च शिक्षा आयोग द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिकी मंत्रालय और दिल्ली द्वारा संशोधन से 2022-23 हेतु दिल्ली/राज्य/राज्यीय शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30000 लक्ष्मण में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सन 2022-23 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता वृद्ध से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पदोपकरण प्रवेश अर्थात् वृद्धि सहित अन्य गतों पर विचार करते हुए सन 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में श्रेय गये निर्णय के अनुसारा से निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30000 लक्ष्मण द्वारा सन 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्थात् पदोपकरण एवं उसमें अंतर्गत प्रवेश सम्पन्न हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1172-BEACON INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्रमांक	पदोपकरण का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0 पी0सी0आई0 द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	00	00
2	ELECTRICAL ENGINEERING	80	80
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	80	80
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित नई शर्तों शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सन 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद दिल्ली/राज्य/राज्यीय 1982, विनियम/सं.सी-2000, संशोधन विनियम/सं.सी-2818 तथा स्थापना-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क-तीन वर्षीय इंजीनियरिंग प्रोग्रामों हेतु रु० 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मिकी प्रोग्रामों हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पदोपकरणों (दो वर्षीय कार्मिकी पदोपकरण के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही परीक्षा उत्तरावकाश से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावों होने, और तदनुसार का उपाधी किया जाना आवश्यक होगा। शून्य निर्धारण समिति द्वारा सन 2022-23 हेतु पीरू का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की मान्यता को लागू करेगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

- ✓ संस्था को सम्बद्ध संस्था पर निर्मित सामग्री/सेवा के अनुसूचक निर्देशिका एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विधिविधान्त/अधिनियम/आयन/देशनिर्देशों एवं निर्देशिका, प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, संयुक्त प्रदेश परिषदा परिषदा, 2019 और प्राविधिक शिक्षा परिषदा, 2019 द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थाओं को ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0ई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस समय में सम्बन्धित उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया जाये और कौनों भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषदा, संयुक्त प्रदेश परिषदा परिषदा, प्राविधिक शिक्षा निर्देशिका एवं प्राविधिक शिक्षा विधायक उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई बात उठाने की आवश्यकता है तथा उसके लिये के लिये वे स. न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रक्रिया की प्रतिकृति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो सम्बद्ध प्रतिपत्ति संबंधित संस्था को कार्रवाई होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परिषदा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रेषित अनुमोदन प्रक्रिया के अंतर्गत ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0ई0 से अनुमोदन प्राप्त न होकर परिषदा कार्यालय को उपस्थित करना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की (नाडनिर्देशिका के माध्यम से प्रदेश परिषदा के द्वारा) परीक्षा प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु सामग्री/सेवा पर निर्मित सर्वोच्चतम आयतन शिक्तों का अनुमोदन करवाया जायेगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे समस्त विधिविधान्त/अधिनियम/आयन/देशनिर्देशों, निर्देशिका, प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, संयुक्त प्रदेश परिषदा परिषदा, 2019 और प्राविधिक शिक्षा परिषदा, 2019 का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त बायोमेट्रिक उपकरण काले के साथ शिक्षण केंद्रों के सम्बद्ध में समस्त उपकरण व्यवस्था सुरक्षित रखनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्येक वर्ष निर्मित पाठ्यक्रम को संशोधित करने हेतु निर्देशिका समिति के समक्ष उपलब्ध कराये एवं अधिनियम, अधिनियम, कौनों भी उपलब्ध कराये जाये और संस्था द्वारा किया गया प्रत्येक वर्ष के संशोधन में प्रयोग किया जाये और परिषदा को सूचित करवायी जाती है कि संस्था अधिनियम की प्रयोग निर्णीत प्रक्रिया का पालन कर रही है तो सम्बद्ध संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थायी निधि/आय के अभाव में संस्था में भूति, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य आवश्यकताओं ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0ई0 के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाते हैं तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसंधान/समाप्त कार्यवाही की जायेगी।

  
(ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0ई0)

सचिव

दिनांक: 30/04/2022

पू0सं0- प्राविधिक परिषदा सम्बद्धता 2022/7810-0455

प्राविधिक  
प्रधानाचार्य/निदेशक BEACON INSTITUTE OF TECHNOLOGY

  
(ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0ई0)

सचिव

## कार्यालय

### राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

#### उत्तर प्रदेश नखनऊ

संख्या - प्राशिका/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

तारखतः दिनांक: 12-09-2023

#### कार्यालय शाखा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक स्तर 2023-24 हेतु पूर्ण से संचालित विस्तारण राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार पदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० नखनऊ से सम्बद्धता विस्तार पदान किए जाने के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष दिनांक 23-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभलन हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम से संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदत्त किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० नखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल विशेष क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार पदान की जाती है:-

संस्था का बोक एन नमः : 1172-BEACON INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	00आई0सी0टीआई0 पी0सी0आई0 द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित विशेष	
		संख्या	संख्या
1	CIVIL ENGINEERING	03	03
2	ELECTRICAL ENGINEERING	03	03
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	03	03
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	03	03
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	03	03

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश शासन के एन संख्या 311/93-2038/81/2022 टी0टी0-1 दिनांक 13 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संस्था संस्थाओं की ओर से विश्व तकनीकी महाविद्यालय में आयोजित रिट अभिमत संख्या 5027/2023 में भारतीय न्यायालय के अखिल निर्णय के अधीन सम्बद्धता सिद्ध की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुसार संस्था में समस्त सामान्य (इंजिन, ड्राइंग, मैथ उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।

- ✓ सभा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 विनियमावली-2000, सेक्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों व अनुपालन कर्तव्य तथा सुलभ निर्माण समिति द्वारा निर्धारित भुक्त ही चयन कायदा से प्राप्त किया जायेगा। उत्तराखण्ड के अतिरिक्त राज्यों में भुक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों व आदेशों को ध्यान में रखकर कार्य किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा यदि सन 2023-24 हेतु भुक्त का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्राथमिक शिक्षा विभाग की कार्यवाही होगी।
- ✓ सभा में स्वीकृत प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही चयन दिया जायेगा।
- ✓ राज्य वही समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्देशानुसार एवं सम्बन्धित भुक्त जमा करवाये जायेंगे।
- ✓ सभा में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधियों/प्रविधिकरण/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशन, प्राथमिक शिक्षा, 1982, स्वीकृत प्रदेश परीक्षा परिषद, 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 1982 द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों व शासनादेशों को ध्यान में रखा जायेगा।
- ✓ यदि सभा में अखिल भारतीय स्तर की शिक्षा परिषद/शासनादेशों का उद्देश्य एक ही दिशा में अनुसूचित जाति शिक्षा होता है तो हर संभव में सम्बन्धित शासनादेशों का होगा और विधिक रूप से किसी भी कारणवशीर के लिए संस्था एवं अनुसूचित जाति प्राथमिक शिक्षा परिषद, स्वीकृत प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा विभाग/एच एच प्राथमिक शिक्षा विभाग/उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है तथा इसके बाद के अर्थ में ना, शासनादेशों द्वारा किसी प्रकार की भविष्य में संघर्ष आदेश निर्गत किया जाता है तो अन्ततः परिणामी स्थिति संस्था को तबनी होगी।
- ✓ सभा में वही अनुसूचित प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रदेश परीक्षा हेतु आदर्शित प्राप्त होने के पूर्व अखिल भारतीय स्तर की शिक्षा परिषद/शासनादेशों का उद्देश्य एक ही दिशा में अनुसूचित जाति प्राथमिक शिक्षा परिषद का उद्देश्य को उपलब्ध करना होगा। अन्यथा उनके उद्देश्य की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश वही समय-समय पर निर्गत शासनादेशों आदेशों विधियों का अनुपालन करवाये जायेगा।
- ✓ सभा को अपने उद्देश्य तथा प्राथमिक शिक्षा के सुशासन को ध्यान में रखकर ही सभा को सभा के ऐतिहासिक भूमि, स्थापना, स्थापना, उपयोग, शासन किया जाने वाला भुक्त, शासनादेशों भुक्त आदि का विवरण उपलब्ध करवाये जायेगा।
- ✓ सभा को शिक्षा/अधिभाग हेतु उपलब्ध शासनादेशों उपलब्ध करवाये के लिए ऐतिहासिक शासनादेशों के सम्बन्ध में सभा को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सभा में सुनिश्चित होनी कि सभा में प्रत्येक शासनादेशों का उद्देश्य ही सभा के उद्देश्य के अन्तर्गत उद्देश्य करवाये गये अखिल भारतीय स्तर, राष्ट्रीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय एवं यदि सभा द्वारा किया गया उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है और परिषद को प्राथमिक शिक्षा होती है कि सभा उद्देश्य का प्रयोग किया जायेगा वही के लिए कर दिया है तो सभा में सभा के उद्देश्य के अन्तर्गत उद्देश्य किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सभा में प्राथमिक शिक्षा (समिति) और उद्देश्य (समिति), उद्देश्यों व सभा द्वारा किया गया विनियमावली, 2000 के प्राथमिक शिक्षा परिषद की सभा व अपने शासनादेशों, अर्थों और शासनादेशों को परिषद को शासनादेशों के लिए परिषद को उद्देश्य में लाने।
- ✓ सभा के अखिल भारतीय स्तर की शासनादेशों सभा में भूमि, शासन, प्रयोगशाळा, उपयोग एवं अन्य शासनादेशों पर शासनादेशों/शासनादेशों/शासनादेशों के सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सभा की सभा के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सभा द्वारा सभा का अनुपालन न किये जाने अथवा सभा पर उल्लंघन किये जाने की स्थिति में सभा द्वारा अनुपालन/शासनादेशों कार्यवाही की जायेगी।

  
 (अजीत कुमार मिश्रा)



